न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2017

वादीयागण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाडुदेवी पुत्री सवाजी पत्नि जगमालजी जाति भील निवासी रानीवाडाकलां 2. कमुदेवी पुत्री सवाजी पत्नि मगाजी निवासी रानीवाडाकलां तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. शंकराराम 2. भुपाराम 3. कालाराम 4. प्रतापाराम पिसरान सवाजी 5. मृतक जसा वल्द सवाजी के वारीसानः– 5/1. हरदाराम 5/2. हरसन पिसरान जसाजी 5/3. संतोक पत्नि जसाजी जातियान भील साकिनान रानीवाडाकलां 6. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 7. हल्का पटवारी रानीवाडाकलां तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

दावा बाबत खातेदारी हकों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीयागण के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन।
2. प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 06.02.2023

1. वादीयागण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88, 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 29.11.2022 को मौजा रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडाकी खातेदारी आराजी खेत खसरा नंबर 1023, 1024, 1025, 1034/2060 रकबा क्रमशः 0.04, 0.01, 3.20, 0.20 हेक्ट0 जुमले रकबा 3.45 हेक्टेयर की आराजी में वादीयागण लाडुदेवी व कमुदेवी के 2/7 हिस्से की आराजी में खातेदारी हको की घोषणा की जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी में से 2/7 हिस्से की आराजी में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर आवागमन के रास्ते की पर्याप्त सुविधा रखते हूये बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2022/1142 दिनांक 02.12.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राज./2023/60 दिनांक 27.01.2023 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत [illegible] को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीयागण के विद्वान [illegible] की तहसीलदार रानीवाडा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादीयागण के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गई। तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुए तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन करने व वादीयागण अधिवक्ता के बहस तथ्यों पर मनन करने पर हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसगंत प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5/3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	कमूदेवी पुत्री सवाराम 1/2 हिस्सा, लाडुदेवी पुत्री सवाराम 1/2 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1025	3.20	0.97	जा.दो.	हरा	नियमानुसार
2	कालाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, प्रतापाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, भूपाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, शंकराराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, सन्तोक पत्नि जसाराम 1/15 हिस्सा, हरदाराम पुत्र जसाराम 1/15 हिस्सा, हरसनराम पुत्र जसाराम 1/15 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1034/2060	0.20	0.20	जा.प्र.	गुलाबी	नियमानुसार
		1023	0.04	0.04	गै.मू. ढाणी		
		1024	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
		1025	3.20	2.18	जा.दो.		
3.	कमूदेवी पुत्री सवाराम 1/7 हिस्सा, कालाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, प्रतापाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, भुपाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, लाडुदेवी पुत्री सवाराम 1/7 हिस्सा, शंकराराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, संतोक पत्नि जसाराम 1/21 हिस्सा, हरदाराम पुत्र जसाराम 1/21 हिस्सा, हरसन पुत्र जसाराम 1/21 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1025	3.20	0.05	जा.दो.	काला	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व [illegible] संख्या 1 से 5/3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं [illegible] प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमल

दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5/3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(कुसुमलता चौंहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

वादीयागण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाडुदेवी पुत्री सवाजी पत्नि जगमालजी जाति भील निवासी रानीवाडाकलां 2. कमुदेवी पुत्री सवाजी पत्नि मगाजी निवासी रानीवाडाकलां तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. शंकरराम 2. भुपाराम 3. कालाराम 4. प्रतापाराम पिसरान सवाजी 5. मृतक जसा वल्द सवाजी के वारीसानः– 5/1. हरदाराम 5/2. हरसन पिसरान जसाजी 5/3. संतोक पत्नि जसाजी जातियान भील साकिनान रानीवाडाकलां 6. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 7. हल्का पटवारी रानीवाडाकलां तहसील रानीवाडा जिला–जालोर
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955		

राजस्व वाद संख्या 38/2017

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीयागण की ओर से वकील श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित, प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5/3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	कमूदेवी पुत्री सवाराम 1/2 हिस्सा, लाडुदेवी पुत्री सवाराम 1/2 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1025	3.20	0.97	जा.दो.	हरा	नियमानुसार
2.	कालाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, प्रतापाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, भूपाराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, शंकरराम पुत्र सवा 1/5 हिस्सा, सन्तोक पत्नि जसाराम 1/15 हिस्सा, हरदाराम पुत्र जसाराम 1/15	1034/2060	0.20	0.20	जा.प्र.	गुलाबी	नियमानुसार
		1023	0.04	0.04	गै.मू. ढाणी		
		1024	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

	हिस्सा, हरसनराम पुत्र जसाराम 1/15 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1025	3.20	2.18	जा.दो.		
3.	कमूदेवी पुत्री सवाराम 1/7 हिस्सा, कालाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, प्रतापाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, भुपाराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, लाडुदेवी पुत्री सवाराम 1/7 हिस्सा, शंकराराम पुत्र सवाराम 1/7 हिस्सा, संतोक पत्नि जसाराम 1/21 हिस्सा, हरदाराम पुत्र जसाराम 1/21 हिस्सा, हरसन पुत्र जसाराम 1/21 हिस्सा कौम भील सा. देह खातेदार	1025	3.20	0.05	जा.दो.	काला	नियमानुसार

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5/3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5/3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06.02.2023 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौंहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	2	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	6	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested